अनौपचारिक रूप से परामर्शित

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
यो04 / मु0क्षे0वि0यो0—57 / 2013— 5546 / यो0वि0,दिनांक ~~नवम्बर, 2014~~ 01.12.2014

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

विषयः **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2014—15 एवं पूर्व वर्षों (2011—12, 2012—13 एवं 2013—14) में ली गई योजनाओं के वित्तीय सम्पोषण हेतु 782.4612 करोड़ रूपये के व्यय के प्रस्ताव पर दिनांक 10.06.2014 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की कंडिका—5 तथा कंडिका—7 में संशोधन कर बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2014—15 के पूर्व वर्षों (2011—12, 2012—13 एवं 2013—14) में ली गई योजनाओं के वित्तीय सम्पोषण हेतु 782.4612 करोड़ रूपये एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014—15 में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए 636.00 करोड़ रूपये अर्थात् 1418.4612 करोड़ रूपये के व्यय के प्रस्ताव पर दिनांक 10.06.2014 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार विभागीय पत्रांक 2231 दिनांक 17.06.2014 द्वारा महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार को प्रेषित पत्र की कंडिका—5 में शेष राशि 782.4612 करोड़ रूपये का बजट उपबंध प्रथम अनुपूरक से कराने के पश्चात् विभिन्न स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडलों को आवंटित करना प्रस्तावित है तथा कंडिका—7 में उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के संबंधित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल—1 एवं 1/2 के कार्यपालक अभियंता को बनाया गया है।

2. विभिन्न प्रकार की स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएँ विशेषकर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की गति में तीव्रता लाने हेतु बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण का गठन विभागीय संकल्प 2391 दिनांक 25.06.2014 द्वारा किया गया है।

3. विभागीय पत्रांक 2905 दिनांक 11.07.2014 द्वारा निर्गत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका—2014 की कंडिका—8 (निधि का आवंटन) में योजना एवं विकास विभाग/बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण द्वारा निधि का आवंटन जिला को किए जाने का प्रावधान किया गया है।

4. योजना एवं विकास विभाग के पूर्व से घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को मुख्यालय स्तर पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की उपबंधित राशि की निकासी के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

5. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 2014—15 में प्रावधानित 660.00 करोड़ रूपये की राशि में से 632.00 करोड़ रूपये की राशि संबंधित जिला के संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल 01 एवं 1/2, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को आवंटित की गयी है तथा वर्ष 2014—15 एवं पूर्व वर्षों (2011—12, 2012—13 एवं 2013—14) में ली गई योजनाओं के वित्तीय

सम्पोषण हेतु प्रावधानित शेष 782.4612 करोड़ रूपये की राशि के प्रावधानित बजट शीर्ष के तहत बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को सीधे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। योजना एवं विकास विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का आहरण किया जाएगा तथा आहरित राशि बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को आवंटित की जायेगी जो अपने उपविधियों के अनुरूप खाते में रखेंगे एवं मांग के अनुरूप संबंधित पदाधिकारी को राशि उपलब्ध करायेंगे।

6. बजट शीर्ष

मुख्यशीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0107–मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, माँग संख्या–35,विपत्र कोड–P-4070000510107, विषय शीर्ष–5301–मुख्य निर्माण कार्य

7. उपर्युक्त प्रस्ताव पर दिनांक 03.11.2014 को सम्पन्न योजना प्राधिकृत समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

8. प्रस्ताव पर दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न मंत्री परिषद की बैठक के मद संख्या–30 के रूप में सम्मिलित उपर्युक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

9. राशि के एकमुश्त निकासी पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

(पंकज कुमार)
सचिव

ज्ञापांकः यो04/मु0क्षे0वि0यो0–57/2013–5515/यो0वि0,दिनांक ~~नवम्बर, 2014~~ 01.12.2014

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः यो04/मु0क्षे0वि0यो0–57/2013–5515/यो0वि0,दिनांक ~~नवम्बर, 2014~~ 01.12.2014

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः यो04/मु0क्षे0वि0यो0–57/2013–5515/यो0वि0,दिनांक ~~नवम्बर, 2014~~ 01.12.2014

प्रतिलिपिः मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना/ मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
योजना एवं विकास विभाग